<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

दिनाँक 23.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>जिलाधिकारी खीरी व पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा सुभाषचन्द्र बोस की जयन्ती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई</u>

आज दिनांक 23.01.2023 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के अवसर पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही महोदय द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई व सभी को संदेश दिया गया कि दो पहिया वाहन बिना हेलमेट न चलाना, दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी न बैठाना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना, नशे की हालत में वाहन न चलाना एवम् सड़क नियमों के पालन हेतु सभी को जागरुक किया गया , इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा थाना खीरी का निरीक्षण; महिला हेल्प डेस्क पर आयी शिकायतकर्ता से लिया फिडबैक</u>

आज दिनांक 23.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खीरी का निरीक्षण किया गया। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई व महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए एवं प्रत्येक जनशिकायत का फीडबैक स्वयं प्रभारी निरीक्षक को करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी एवं निर्धारित वर्दी धारण करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

थाना खीरी क्षेत्र के ग्राम कटिया में ग्राम चौपाल का आयोजन; पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चौपाल की अध्यक्षता कर ग्रामवासियों से किया गया सीधा संवाद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी के गांवों को अपराध से मुक्त बनाने हेतु जनपद के प्रत्येक थानें द्वारा थाना क्षेत्र के गांवों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जायेगा। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा यह है कि ग्रामवासियों को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना, पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार न आना पड़े अपितु स्थानीय पुलिस नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर ग्राम वासियों से संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करें। जिससे की गांवों के छोटे-मोटे आपसी विवाद बड़ा रुप न ले सके, जिससे अपराध नियन्त्रित किया जा सकें।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खीरी क्षेत्र के ग्राम कटिया में पुलिस द्वारा लगायी गई "ग्राम चौपाल" की अध्यक्षता की गई। महोदय द्वारा ग्राम चौपाल में ग्रामवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया तथा स्थानीय ग्रामवासियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिए गए।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्त रामनाथ पुत्र मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा रामनाथ पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम बरौला थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी हालपता ग्राम चकपुरवा मजरा करसौर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी सम्बन्धित क्रिमिनल अपील (सिंगल बेंच) नं0 1851/2003 रामनाथ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-
रामनाथ पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम बरौला थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी हालपता ग्राम चकपुरवा मजरा करसौर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना फूलबेहड़
2. आरक्षी बलबीर सिंह थाना फूलबेहड़
3. आरक्षी मोनू थाना फूलबेहड़

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त सुदामा कुमार उर्फ छोटू को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 28/2023 धारा 380/411 भादवि0 का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त सुदामा कुमार उर्फ छोटू पुत्र बिहारी निवासी ग्राम टापरपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को चोरी किये हुए 04 अदद लोहे के पानी वाले पाइपव 01 प्लास्टिक के फ्लश सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुदामा कुमार उर्फ छोटू पुत्र बिहारी निवासी ग्राम टापरपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

04 अदद लोहे पाइप (केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के आवासीय परिसर में लगे)
01 प्लास्टिक के फ्लश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह, (चौकी प्रभारी सुन्दरवल) थाना फूलबेहड़
2. मुख्य आरक्षी उमेश प्रताप सिंह, थाना फूलबेहड़
3. आरक्षी विवेक कुमार, थाना फूलबेहड़
4. हरिवंश कुमार (कर्मचारी केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र) अन्देशनगर जनपद लखीमपुर खीरी

थाना उचौलिया पुलिस द्वारा,गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहे 10,000/- रू0 के ईनामिया अभियुक्त संजय पुत्र महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.01.2023 को मु0अ0स0 560/22 धारा 2(ख)(ii)/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहा 10,000/- रूपये का ईनामिया अभियुक्त संजय पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम बद्दापुर थाना पसगवां जनपद खीरी को मोहिद्दीनपुर चौराहा नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संजय पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम बद्दापुर थाना पसगवां जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 17/22 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधि0 थाना पसगवां जनपद खीरी
2. मु0अ0स0 560/22 धारा 2(ख)(ii)/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष उचौलिया, श्री रवीन्द्र सोनकर
2. हे0का0 राजेश सिंह
4. का0 बंटी
5. म0का0 भारती

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 02 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में 02 नफर वारंटी अभियुक्तों रामपाल पुत्र भुल्लन व मुजीब पुत्र पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1-रामपाल पुत्र भुल्लन नि0 ग्राम सुनहराभूड़ थाना मैलानी जनपद खीरी
2-मुजीब पुत्र पप्पू नि0 ग्राम कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कौशल किशोर
2. हे0का0 राणा प्रताप सिंह
3. का0 विपिन कुमार
4. का0 जितेन्द्र कुमार

<u>थाना मैगलंगज पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त राम सिंह उर्फ सिंहा को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.01.2023 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राम सिंह उर्फ सिंहा पुत्र कढिले नि0 औरंगाबाद थाना मैगलगंज खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 27/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1453 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र विक्रम नि0 खमरिया पंडित थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

2. थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ0सं0 1709/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी रामस्वरुप पुत्र कढिले नि0 जौहरा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी व अ0सं0 4749/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुशील पुत्र जगदीश नि0 सिसौरा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 171 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>171 लीटर अवैध</u>** कच्ची शराब व **<u>03 अदद अवैध शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>10 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>10 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।